# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 25/2009

**वादीः—**

1. श्री चेना पुत्र राहींगजी जाति घांची निवासी मंडिया तहसील व जिला पाली

**बनाम प्रतिवादीगणः—**

1. श्री डुंगाराम पुत्र श्री भैराराम
2. श्रीमती सुंदरबाई पत्नि श्री पेमाराम
3. श्री बलदेव पुत्र श्री कालुराम
4. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री चिमनाराम
5. श्री चिमना पुत्र श्री भैरा जातिगण जाट निवासीगण मंडिया तहसील व जिला पाली
6. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार, पाली
7. सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार उप खण्ड पाली

उपस्थितिः—

1. दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 से 5
2. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 91, 92ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 38 व 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

**—:निर्णयः—** दिनांक 18.12.2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 91,92ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 38 व 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 295 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 362 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 364 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 635 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 44 बीघा 05 बिस्वा नहरी दोयम गांव मंडिया में आई हुई है। वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में प्रतिवादी संख्या एक की कृषि भूमि खसरा नंबर 33/2, 242, 318, 320 प्रतिवादी संख्या दो की कृषि भूमि 322, 323 प्रतिवादी संख्या तीन की कृषि भूमि खसरा नंबर 238 प्रतिवादी संख्या चार की कृषि भूमि खसरा नंबर 321 तथा प्रतिवादी संख्या पांच की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 315, 317, 319, 324 किस्म नहरी दोयम गांव मंडिया में आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में सिंचाई हेतु प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के उत्तर दिशा में नहर का निर्माण किया हुआ है। उक्त नहर से प्रतिवादी संख्या एक से पांच की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु वादी की कृषि भूमि के पुर्व दिशा में खालिया का निर्माण किया हुआ है जिसका उल्लेख राजस्व नक्शे में भी किया हुआ है जिसे प्रतिवादी संख्या सात द्वारा RD-2000 के रूप मं संबोन्धित किया जाता है। वादी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 362 के अंदर से प्रतिवादी संख्या सात द्वारा उपरोक्त RD-2000 में सिंचाई करने हेतु पानी देने हेतु नहर में नाली का निर्माण किया गया था। उक्त नाली से उक्त खालियों में पानी देने हेतु घुमावदार नाली होने के कारण पानी की नालियां खोलने व बंद करने से उक्त नहर का पानी वादी की कृषि भूमि में अधिक मात्रा में आने से वादी की कृषि भूमि खराब होने व फसल नष्ट होने के कारण वादी द्वारा दिनांक 21—01—09 को प्रतिवादी संख्या सात के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उचित जगह पर नाली निकाले जाने का निवेदन किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या सात द्वारा नहर की मरम्मत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या एक से पांच की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु राजस्व रेकर्ड के अनुरूप स्थित RD-2000 के समान्तरण नहर में नाली का निर्माण कर वादी की कृषि भूमि व फसल को होने वाले नुक्शान को समाप्त कर दिया था। उक्त नाली का राजस्व रेकर्ड के अनुरूप स्थित RD-2000 के समान्तरण निर्माण किये जाने से प्रतिवादी संख्या एक से पांच को अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या एक से पांच वादी की

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि के खसरा नंबर 362 के अंदर पुर्व में निकाली गइ नाली के माध्यम से ही अपनी कृषि भूमि की सिंचाई किये जाने हेतु आमादा है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या एक से पांच ने वादी को यह धमकी दी है कि हम वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 से ही नाली निकालेगें तथा बंद की गई नाली को हम वापस खोलेगें जिसे रोके जाने हेतु वादी यह वाद मजबुरन प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या एक से पांच को वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाने जाने का व उसकी कृषि भूमि में दखलंदाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है जिस कारण प्रतिवादी संख्या एक से पांच व सात को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली नहीं निकालने हेतु व उसकी कृषि भूमि में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा अगर प्रतिवादी संख्या एक से पांच द्वारा अपने बाहुबल के आधार पर उक्त नाली का निर्माण कर दिया जाता है तो उसे जरिये आदेशात्मक आज्ञा द्वारा बंद करवाये जाने हेतु भी वादी यह वाद प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या एक से पांच को वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने का व उसकी कृषि भूमि में दखलअंदाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या सात द्वारा उनकी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु राजस्व रेकर्ड के अनुरूप स्थित RD-2000 के समान्तरण नहर में नाली का निर्माण किये जाने से प्रतिवादी संख्या एक से पांच को अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी जबकि वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने से नाली बंद व खोले जाने के समय अत्यधिक मात्रा में पानी आने से वादी की कृषि भूमि खराब होने व फसल नष्ट होने से वादी को अकथनीय हानि होगी तथा वादी अपनी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जायेगा जिस कारण सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। उपरोक्त हालात व वाक्यात की पृष्ठभूमि में प्रतिवादी संख्या एक से पांच व सात को वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने से व उसकी कृषि भूमि में दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जाना व अगर दौरान वाद उक्त नाली का निर्माण कर दिया जाता है तो उसे आदेशात्मक आज्ञा द्वारा बंद कराने की आज्ञा दी जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद हेतुक बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण कल दिनांक 10–06–09 को प्रतिवादी संख्या एक से पांच द्वारा ऐलानिया रूप से वादी को उसकी कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली का पुर्न निर्माण करने की धमकी देने से बमुकाम मंडिया पैदा हुआ है। प्रतिवादी संख्या छ से सात के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दादरसी नहीं चाही गई है किन्तु आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दादरसी नहीं चाही जाने के कारण उनको धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता का नोटिस दिये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर फरमायी जावे – वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने से व वादी की कृषि भूमि में दखलंदाजी स्वयं व अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से पांच व सात को हमेशा हमेशा के लिये रोका जावे व अगर दौराने वाद उक्त नाली का निर्माण कर दिया जाता है तो उसे आदेशात्मक आज्ञा द्वारा बंद करने की आज्ञा प्रदान करावें। अन्य कोई दादरसी बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण हो वो भी दिलाया जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या एक से पांच से दिलाया जावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में निवेदन किया कि वादी के खसरा नंबर 362 की भूमि के उत्तर में खसरा नंबर 305 हेमावास बांध की नहर स्थित होना स्वीकार है। इस नहर की भूमि की चौड़ाई इस स्थान पर 8 गट्टा है व इसके बीच में बनी पक्की नहर की चौड़ाई 2 गट्टा है तथा पक्की नहर के दोनों तरफ 3–3 गट्टा भूमि है जो नहर की भूमि का हिस्सा है व सरकारी भूमि है तथा इसी शेष भूमि में होकर नहर का पानी नहर में लगे पाईप से जरिये खाली सरकारी भूमि में से होकर खाली खसरा नंबर 325 तक जाता और फिर खाली यानि खसरा नंबर 325 खाली से प्रतिवादीगण की नहरी भूमि की सिंचाई होती है। जिस खालीये का खसरा नंबर 325 है। यह स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि, जिसके खसरा नंबर वादोत्तर पद संख्या 2 में दर्ज है, के पूर्व दिशा में पुरानी खाली आयी हुई है जिससे उत्तरदाता प्रतिवादीगण की नहरी कृषि भूमि की सिंचाई नहर व खाली बनी तब से लगातार होती रही है। वादी का यह कथन पूर्णतः गलत, झूठ व बेईमानीपूर्ण है कि खसरा नंबर 362 के अंदर से प्रतिवादी संख्या 7 ने RD-2000 में सिंचाई के लिये पानी देने हेतु नहर में खाली

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

लगे पाईप से, खसरा नंबर 325 में बने खालीया तक, नहर के पानी की जो खाली बनी हुई थी उसे उसी स्थान पर उसी रूप में पुर्नस्थापन किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है और खाली की पुर्नस्थापना, पहले खसरा नंबर 305 नहर की सीमा में जिस स्थान पर व जिस रूप में बनी हुई थी उस स्थान पर उसी रूप में पुर्नस्थापना की जावेगी। वादी आदेशात्मक अथवा अन्य किसी रूप में व्यादेश पानी का अधिकारी नहीं है। वादी को अशोधनीय क्षति होने व उसके संबन्ध में जो तथ्य कथन वादी ने किया है वह गलत होने से अस्वीकार है। सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है बल्कि सुविधा संतुलन उत्तरदाता प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादी उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी आशय प्रभाव का व किसी भी रूप में आदेशात्मक व्यादेश अथवा अन्य आदेश पाने का अधिकारी नहीं है। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तारीख 10–06–2009 अथवा अन्य किसी तारीख को किसी भी कारण व आधार पर वादकारण पैदा नहीं हुआ। वादी का यह कथन गलत है कि उसने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। वादी उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी आशय व प्रभाव की किसी रूप में व्यादेश की डिक्री पाने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद सव्यय खारिज फरमावें तथा वादी ने जानबूझ कर गलत, झूठे तथ्य दर्ज कर प्रतिवादीगण को तंग परेशान व खर्चे से जेरबार करने वाला दावा पेश किया है, अतः वादी से प्रतिवादीगण को विशेष खर्चा के रूपये 5,000/– दिलावे। **काउंटर क्लेम** में निवेदन किया कि ग्राम मंडिया में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 33/2, 242, 318, 320 कुल 40 बीघा 10 बिस्वा नहरी दोयम, प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 322 व 323 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा नहरी दोयम, प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 10 बीघा नहरी दोयम व प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 321 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा नहरी दोयम व प्रतिवादी संख्या 5 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 315, 317, 319 व 324 कुल रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा नहरी दोयम स्थित है। प्रतिवादी संख 1 से 5 की उक्त खातेदारी कृषि भूमि की सिंचाई ग्राम मंडिया के खसरा नंबर 305 नहर से कदीम से यानि नहर व खाली बनी तब से लगातार शांतिपूर्वक, बिना रोक टोक, खुलेआम होती आई है और इस नहर से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का अपनी उपर वर्णित खातेदारी भूमि की सिंचाई करने का विधिक अधिकार है। उक्त नहर की भूमि की चौड़ाई RD-2000 के समीप 8 गट्टा है और इस 8 गट्टा चौड़ाई में बीचो बीच में पक्की नहर की चौड़ाई 2 गट्टा है तथा पक्की नहर के दोनों तरफ 3–3 गट्टा की चौड़ाई है जो नहर की भूमि का हिस्सा है व सरकारी भूमि है। पक्की नहर के दक्षिण में जो 3 गट्टा नहरी भूमि यानि सरकारी भूमि है उसमें होकर नहर का पानी नहर में लगे पाईप से जरिये खाली सरकारी भूमि में से होकर खाली खसरा नंबर 325 तक जाता है और फिर खसरा नंबर 325 नहर की खाली से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की नहरी भूमि की सिंचाई कदीम से यानि नहर व उपर वर्णित खाली बनी तब से होती आई है परन्तु दावा से पहले दिनांक 07–06–09 को वादी ने अपने परिवारजनों के सहयोग से नहर खसरा नंबर 305 में लगे पाईप से लगाकर खसरा नंबर 325 खाली तक नहर का पानी जाने के लिये सरकारी भूमि में जो खालीया यानि नाली बनी हुई थी उसे तोड़ दिया और उसमें मिट्टी भर दी जो तथ्य पटवारी मण्डिया की मौका रिपोर्ट से साबित है। पटवारी मण्डिया ने उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07–09–2009 को तहसीलदारजी, पाली को पेश की। उपर वर्णितानुसार खाली तोड़ने व उसमें मिट्टी भर देने से प्रतिवादीगण उपर वर्णित अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सिंचाई खसरा नंबर 305 नहरी भूमि से करने से सदैव के लिये वंचित हो गये तथा वादी को ऐसा कूकृत्य करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः वादी के विरूद्ध उत्तरदाता प्रतिवादीगण आदेशात्मक व्यादेश पाने के अधिकारी है और काउन्टर क्लेम पेश करते है कि वादी खसरा नंबर 305 नहर में लगे पाईप से लगाकर खसरा नंबर 325 खाली तक जिस खाली के जरिये नहरी पानी जाता था वह खाली पुनः अपने खर्चे से पूर्व स्वरूप में निर्माण करें। काउन्टर क्लेम का बिनायदावा दिनांक 07–06–09 को पैदा हुआ जब वादी ने उपर दर्ज अनुसार खसरा नंबर 305 में लगे पाईप से खाली खसरा नंबर 325 तक पानी के लिये जो खाली बनी हुई थी उसे तोड़ दिया और उसमें मिट्टी भर दी। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पक्ष में व वादी के विरूद्ध आदेशात्मक व्यादेश की डिक्री फरमावे कि ग्राम मंडिया के खसरा नंबर 305 नहर RD-2000 के पास नहर में लगे पाईप से नहरी पानी जिस खाली के जरिये खसरा नंबर 325 खाली तक जाता वह खाली वापिस उसी स्वरूप में उसी स्थान पर वादी अपने खर्चे से निर्माण करे और भविष्य में उस खाली से किसी प्रकार की छेड़छाड़, तोड़फोड़ नहीं करें।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

4. वादी ने काउन्टर क्लेम के जवाबदावा में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक से पांच को खसरा नंबर 305 नहर व खाली से अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सिंचाई करने का विधिक अधिकार अवश्य है किन्तु उक्त सिंचाई हेतु प्रतिवादी संख्या एक से पांच को वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने का व उसकी कृषि भूमि में दखलंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसी पद में उक्त नहर की भूमि की चौड़ाई RD-2000 क समीप आठ गट्टा होने का तथा बीचो बीच में पक्की नहर की चौड़ाई दो गट्टा होने का तथा नहर के दोनों तरफ तीन–तीन गट्टा की चौड़ाई में नहर की भुमि का हिस्सा व सरकारी भूमि होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। इसी पद में अंकित कथन की पक्की नहर के दक्षिण में जो तीन गट्टा नहरी भूमि यानि सरकारी भूमि है में से होकर नहर का पानी नहर में लगे पाईप से जरिये खाली सरकारी जमीन में से होकर खसरा नंबर 325 तक जाने का कथन सरासर गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 325 खाली, नहर खसरा नंबर 305 के समान्तरण दर्शाई गई है जिसमें किसी प्रकार का कोई घुमावदार मोड़ नहीं दर्शाया गया है। पुर्व में उक्त खाली खसरा नंबर 325 में पानी देने हेतु घुमावदार नाली होने के कारण पानी की नालियां खोलने व बंद करने से उक्त नहर का पानी वादी की कृषि भूमि में अधिक मात्रा में आने से वादी की कृषि भूमि खराब होने व फसल नष्ट होन के कारण वादी द्वारा दिनांक 21–01–09 को प्रतिवादी संख्या सात के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उचित जगह पर नाली निकाले जाने का निवेदन किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या सात द्वारा नहर की मरम्मत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या एक से पांच की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु राजस्व रेकर्ड के अनुरूप स्थित RD-2000 के समान्तरण नहर में नाली का निर्माण कर वादी की कृषि भूमि व फसल को होने वाले नुक्शान को समाप्त कर दिया था। उक्त नाली का राजस्व रेकर्ड के अनुरूप स्थित RD-2000 के समान्तरण निर्माण किये जाने से प्रतिवादी संख्या एक से पांच को अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या एक से पांच वादी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 362 के अंदर से पुर्व में निकाली गई नाली के माध्यम से ही अपनी कृषि भूमि की सिंचाई किये जाने हेतु आमादा है जिस कारण इस पद में अंकित कथन कि दिनांक 07–06–2009 को वादी ने अपनी परिवारजनों के सहयोग से नहर खसरा नंबर 305 में लगे पाईप से लगाकर खसरा नंबर 325 खाली तक नहर का पानी जाने के लिये सरकारी भुमि में जो खालिया बना हुआ था उसे तोड़े जाने का, उसमें मिट्टी भरे जाने का कथन सरासर गलत व बेबुनियाद है। इसी पद में पटवारी मंडिया की दिनांक 17–09–09 की मौका रिपोर्ट न तो वादी की उपस्थिति में बनाई गई है एवं न ही मौके की स्थिति के अनुरूप बनाई गई है उक्त मौका रिपोर्ट के संबन्ध में वादी को किसी प्रकार का उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण उक्त मौका रिपोर्ट वादी के हक व अधिकार के विरूद्ध बेअसर है तथा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसी पद में अंकित कथन कि प्रतिवादीगण उपर वर्णित अपनी कृषि भूमि की सिंचाई खसरा नंबर 305 नहर से करने से सदैव के लिये वंचित होने का कथन सरासर गलत व बेबुनियाद है। उक्त नहर की मरम्मत से पुर्व खसरा नंबर 325 खाली से करीब 100 फिट दुरी पर खसरा नंबर 305 नहर में स्थित पाईप के माध्यम से घुमावदार नाली के द्वारा सिंचाई हेतु पानी खसरा नंबर 325 खाली में जाता था जिससे उक्त नाली से उक्त खालियों में पानी देने हेतु घुमावदार नाली होने के कारण पानी की नालियां खोलने व बंद करने से उक्त नहर का पानी वादी की कृषि भूमि में अधिक मात्र में आने से वादी की कृषि भूमि खराब होने व फसल नष्ट होती थी तथा खसरा नंबर 325 खाली में कम मात्रा में पानी जाता था जिस कारण क्षेत्र के काश्तकारों में रोष उत्पन्न होता था जिस कारण प्रतिवादी संख्या सात द्वारा उक्त समस्याओं का निस्तारण करने हेतु खसरा नंबर 305 नहर में खसरा नंबर 325 खाली में पानी देने हेतु राजस्व नक्शे के अनुरूप ही उसके समान्तरण पाईप लगाया गया था जिससे किसी भी पक्ष को कोई हानि होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है किन्तु प्रतिवादी संख्या एक से पांच मात्र वादी की कृषि भूमि को नष्ट करने के उद्देश्य से उक्त घुमावदार खाली के माध्यम से ही सिंचाई करने हेतु अमादा है जिस कारण उक्त वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक से पांच ने उक्त पाईप को सिमेंट से बंद कर दिया है जिस कारण प्रतिवादीगण किसी प्रकार का आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः काउन्टर क्लेम का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या एक से पांच का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा वादी का वाद डिकी फरमाया जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने जवाबदावा में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक से पांच की जमीन सिंचित करने के लिए RD-2000 पर आउटलेट नहर निर्माण के समय ही बनाया गया और खालिया का निर्माण भी उसी समय हुआ और तब से आज तक इसी खालिये से

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीयों की जमीन सिंचित हो रही है। अप्रार्थी संख्या एक से पांच की जमीन को सिंचित करने के लिए RD-2000 पर आउटलेट नहर निर्माण के समय ही लगाया गया और आउटलेट से पानी बाहर निकलकर नहर के समानान्तर खालिया बनाया हुआ है। उसमें होकर अप्रार्थी संख्या एक से पांच की जमीन सिंचित होती है तथा उक्त आउटलेट का निर्माण सिंचित जमीन के लेवल देखकर ही किया गया है और इस आउटलेट से खसरा नबंबर 362 में किसी प्रकार का कोई नुक्शान नहीं होता है क्योंकि खुदा हुआ खालिया खसरा नंबर 362 की जमीन से लगभग ढाई तीन फीट नीचे है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उसको नहर मरम्मत के वक्त नये खालिया निर्माण का कहा था। किसी भी लगे हुए वैध आउटलेट को हटाने और उसे आगे पिछे करना निम्न हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। प्रतिवादी संख्या एक से पांच की जमीन सिंचित करने के लिए नहर के निर्माण के समय से ही आर.डी. 2000 पर आउटलेट लगा हुआ है और वही से खालिया निकलकर जमीन सिंचित होती है जो नहर निर्माण से आज तक चालू है जिसको इस वाद के दायर करने से पूर्व वादी ने खालिये के बंद कर दिया जो अनुचित है। खालिये से कही भी कोई नुक्शान नहीं हो रहा है क्योंकि खालिया नहर के समान्तर है और जमीन से ढाई–तीन फीट नीचे है। वादी ने इस वाद के दायर करने से पूर्व कई वर्षों से चल रहे खालिये के बंद कर दिया जिसको खुलवाया जाना आवश्यक है। अगर इस प्रकार सभी काश्तकार खालियें बंद करने लग जायेगें तो कमाण्ड का संपूर्ण क्षेत्र सिंचित होने से वंचित हो जायेगा। अतः निवेदन है कि उक्त वाद, वादी द्वारा जानबूझकर पैदा किया गया है और कई वर्षों से चल रहे खालिये को वादी ने बंद किया है जो गैर कानूनी है। अतः आपके कार्यालय से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करावें ताकि प्रतिवादियों की जमीन पूर्व में निर्मित खालियों से सिंचित हो सके।

6. वाद में वाद–पत्र एवं जवाबदावों एवं काउन्टरक्लेम के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया खसरा नंबर 362 के अंदर से नहर से नाली निकाले जाने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोकने तथा निर्मित की गई नाली को आदेशात्मक आज्ञा से बंद करवाने का अधिकार है– (वादी)

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की जमीन सिंचित करने के लिये RD-2000 पर आउटलेट नहर निर्माण के समय ही बनाया गया और खालिये का निर्माण भी उसी समय हुआ और तब से आज तक इसी खालिये से प्रतिवादीयों की जमीन सिंचित हो रही है– (प्रतिवादी संख्या 7)

3. आया नहर की सरकारी भूमि में से होकर नहर का पानी नहर में लगे पाईप के जरिये खसरा नंबर 325 तक जाता जिस खाली से प्रतिवादीगण की नहरी भूमि की सिंचाई होती है (प्रतिवादी संख्या 1 से 5)

4. आया वादी व उसके परिवारजनों द्वारा RD-2000 के पास नहर में लगे पाईप से नहरी पानी जिस खाली के जरिये खसरा नंबर 325 खालिया तक जाता वह खालिया तोड़ कर उसमें मिट्टी भर दी जो खाली वापिस उसकी स्वरूप में उसी स्थान पर निर्माण करवाने के आदेशात्मक आदेश पाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है (प्रतिवादी संख्या 1 से 5)

5. आनुतोष।

7. वादी को न्यायालय में उपस्थित आने के लिए दिनांक 26–03–2019 को बार–बार आवाजें दिलवाई गई परन्तु न तो वादी तथा न ही उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ही न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी में कायम की गई तनकी संख्या 1 वादी को साबित करनी थी परन्तु उक्त तनकी को साबित करने हेतु वादी ने न तो स्वयं के बयानात को कलमबद्ध करवाया तथा न ही अन्य गवाह को न्यायालय में उपस्थित रख कर बयानों को कलमबद्ध करवाया एवं न ही दस्तावेजात को ही प्रदर्शित करवाया। वादी द्वारा दिनांक 22–03–2016 को वादी के पुत्र का साक्ष्य में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया परन्तु गवाह को न्यायालय में उपस्थित रख न तो शपथ–पत्र बयान की पुष्टि करवाई तथा न ही जिरह करवाई। ऐसी स्थिति में उक्त शपथ–पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं पाया जाता है। वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उसका वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

8. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाबदावा में काउन्टरक्लेम प्रस्तुत किया था तथा तनकी संख्या 3 व 4 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पर डाला गया था। प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने हेतु गवाह के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 का मुख्य परिक्षण में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर गवाह को न्यायालय में उपस्थित रख शपथ–पत्र बयान की पुष्टि करवाई एवं दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया। वादी के अधिवक्ता गवाह से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य दर्ज की गई।

9. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि नाली वादी की खातेदारी से नहीं है सरकारी भूमि से निकल रही है अब इसलिए आदेश किया जावे।

10. पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ने जवाबदावा में खसरा नंबर 362 के उत्तर में नहर का निर्माण किया जाना लिखा है तथा नाली का पानी खसरा नंबर 362 में आता है जिससे सिंचाई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 करते है। वादी ने खसरा नंबर 325 में खाली को तोड़ा है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 305 नहर तथा खसरा नंबर 325 खाली दर्ज है। खसरा नंबर 305 से 325 तक की नाली को वादी ने नष्ट कर दी।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का काउंटरक्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम मंडिया में स्थित खसरा नंबर 325 नहर एवं खसरा नंबर 305 खाली से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि में सिंचाई करने में वादी किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर, चाकर, ऐजेंट रिस्तेदार इत्यादि से करावें। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
मंडी

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

( ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

## अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

### इजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 25 सन् 2009

**वादीः–**

1. श्री चेना पुत्र राहींगजी जाति घांची निवासी मंडिया तहसील व जिला पाली

**बनाम प्रतिवादीगणः–**

1. श्री डुंगाराम पुत्र श्री भैराराम
2. श्रीमती सुंदरबाई पत्नि श्री पेमाराम
3. श्री बलदेव पुत्र श्री कालुराम
4. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री चिमनाराम
5. श्री चिमना पुत्र श्री भैरा जातिगण जाट निवासीगण मंडिया तहसील व जिला पाली
6. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार, पाली
7. सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार उप खण्ड पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू –शून्य– बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री दौलत मकवाना विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का काउंटरक्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम मंडिया में स्थित खसरा नंबर 325 नहर एवं खसरा नंबर 305 खाली से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि में सिंचाई करने में वादी किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर, चाकर, ऐजेंट रिस्तेदार इत्यादि से करावें।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीनामा | – | – | स्टाम्प वकालतनामा | – | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | – | – | स्टाम्प हाजरी | – | – |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | – | मेहनताना वकील पर | – | – |
| मेहनताना वकील | – | – | खर्चा गवाहान | – | – |
| खर्चा गवाहान | – | – | फीस कमिश्नर | – | – |
| फीस कमिश्नर | – | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – | मुतफरिक | – | – |
| मुतफरिक | – | – | – | – | – |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.12.26 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: